सं:1:05:138:I:सीएस

दिनांक: 11 अगस्त, 2017

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, **लिस्टिंग विभाग,** **एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स,** **बांद्रा (ई), मुंबई - 400051**	**बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,** **कॉर्पोरेट सेवा विभाग,** **तल - 25, पी जे टावर्स,** **दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400001**
स्क्रीप कोड: पीएफ़सी	**स्क्रीप कोड: 532810**

विषय: "मीडिया/पब्लिशन"" में दिखाए गए समाचार पर स्पष्टीकरण।

महोदय,

कृपया दिनांक अगस्त 10, 2017 को बीटीवीआई पर दिखाए गए "सीएजी: ऋणों पर क्रेडिट आकलन में आरईसी, पीएफ़सी द्वारा समयक तत्परता की कमी; आरईसी, पीएफ़सी ने निजी विद्युत कंपनियों को ऋणों पर आरबीआई मानकों का पालन नहीं किया" विषयक समाचार पर स्पष्टीकरण मांगने संबंधी अपने दिनांक अगस्त 10, 2017 के पत्र का अवलोकन करें।

सबसे पहले हम आपको सूचित करते हैं कि मीडिया में दिखाई गई उपर्युक्त खबर पूर्णत: काल्पनिक है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफ़सी) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक नवरत्न सीपीएसई है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) कंपनी की लेखापरीक्षा भी करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आरईसी और पीएफ़सी द्वारा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को ऋण देने के संबंध में सीएजी के अधिकारियों द्वारा विषयगत लेखापरीक्षा के दौरान पीएफसी में क्रेडिट अप्रेजल प्रणाली संबंधी कई स्पष्टीकरण एवं बिन्दु उठाए गए थे, जिनका कंपनी द्वारा उपयुक्त जवाब दिया गया था। इसके अतिरिक्त, पीएफसी की सुदृढ़ क्रेडिट अप्रेजल प्रणाली है और किसी ऋण प्रस्ताव के समयक तत्परता के लिए सुगठित प्रक्रिया और दिशा-निर्देश अपनाए जाते हैं।

इस टिप्पणी के संबंध में कि पीएफसी निजी क्षेत्र को ऋण देने पर आरबीआई दिशा-निर्देश का पालन नहीं करता है, एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि पीएफसी रीस्ट्रक्चरिंग मानकों के अलावा सभी आरबीआई मानकों का नियमित पालन कर रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग मानकों के लिए कंपनी आरबीआई के साथ वार्ता कर रहा था। दिनांक 31.03.2016 तक रीस्ट्रक्चरिंग मानकों के लिए पीएफसी दिनांक 01.04.2015 से संस्वीकृत नए जेनरेशन ऋणों पर आरबीआई मानकों को लागू कर रहा था (दिनांक 01.04.2015 से पहले, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रीस्ट्रक्चरिंग मानकों का पालन किया जाता था)। आरबीआई के दिनांक 11.04.2017 के पत्र की प्राप्ति के पश्चात, कंपनी ने आरबीआई रीस्ट्रक्चरिंग मानकों को लौ कर लिया है। दिनांक 31.03.2015 से पहले संस्वीकृत जेनरेशन ऋणों में और जहां दिनांक 01.04.2015 से रीस्ट्रक्चरिंग की गई हैं, वहाँ परिणामी प्रावधानों के साथ आरबीआई मानकों के अनुसार दिनांक 31.03.2017 से परिसंपत्ति वर्गीकरण दिया गया है।

पीएफसी द्वारा अपनाई गई नीति को कंपनी के वित्तीय परिणाम में विधिवत प्रकटन किया जा रहा है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए वार्षिक लेखों में इन मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक अगस्त 10, 2017 को स्टॉक बाजार में समान्यतः कमी देखी गई, जिसमें निफ्टी 50 में 87 बिन्दु की गिरावट के साथ 9,820.25 पर बंद हुआ और बीएसई सेंसेक्स में 266 बिन्दुओं की गिरावट के साथ 31,531.33 पर बंद हुआ। तदनुसार, पीएफसी के शेयर मूल्य में गिरावट भारतीय स्टॉक बाज़ारों में कमी के चलते भी हो सकती है।

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पीएफसी सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अनिवार्यताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 और अन्य विनियमों का सख्ती से बिना किसी असफलता/देरी/अंतर के साथ अनुपालन करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास कोई मूल्य-संवेदी सूचना उपलब्ध नहीं है, जिसे स्टॉक एक्सचेंजों में घोषित नहीं किया गया हो और जो पीएफसी शेयरों के बाजार मूल्य में इरावत को संभवतः बता सके।

आपसे अनुरोध है कि हमारे स्पष्टीकरण को रिकॉर्ड करें। इस संबंध में किसी स्पष्टीकरण कि स्थिति में कृपया हमें अवगत कराएं।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com